राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एफः 97 () खावि.पीडीएस/एलपीजी सब्सिडी/2024 जयपुर, दिनांक 10.2024

रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना विस्तृत दिशा निर्देश

रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजनान्तर्गत जरुरतमंद परिवारो की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रूपये 450 में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2024–25 से इस योजना का दायरा बढाते हुए सभी राशन का गेहूँ प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात NFSA लाभान्वितों को रुपये 450 में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जाना है ।

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29-08-2024 को जारी (प्रति संलग्न) दिशा–निर्देशों की निरन्तरता मे योजना के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्यन हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को एलपीजी गैस सिलेण्डर रुपये 450 में प्राप्त करने हेतु NFSA राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार एवं परिवार में उपलब्ध समस्त LPG ID की सीडींग करवाया जाना अनिवार्य है।
2. उक्त सीडींग हेतु उचित मूल्य दुकानों पर गेहूँ वितरण कार्य दिनांक 05-11-2024 से दिनांक 30-11-2024 तक किया जायेगा। इस अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान स्तर से पोस मशीन के माध्यम से प्रत्येक एनएफएस परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई–केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग की जाएगी।
3. उक्त अवधि के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम मे छूटे हूए पात्र लाभार्थियों की e-KYC भी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा POS मशीन मे अनिवार्य रुप से की जायेगी।
4. उचित मूल्य दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा की NFSA परिवार के समस्त सदस्यो की आधार, LPG ID एवं e-KYC की सीडींग उपरान्त ही गेहूँ का वितरण निर्धारित प्रावधानुसार लाभार्थियों को किया जावें।
5. समस्त जिला रसद अधिकारियो, प्रवर्तन अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षको को योजना के विस्तृत दिशा निर्देशों एवं सीडींग की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में वी.सी का आयोजन किया जायेगा तथा समस्त जिला रसद अधिकारियों से One to One Interaction एवं PPT व Video के माध्यम से सीडींग की प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा तथा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर खाद्य विभाग उक्त PPT व Video जिला रसद अधिकारियो के WhatsApp group पर share करना सुनिश्चित करेंगे तथा जिलो से किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या की सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.28 14:58:51 IST
Reason: Approved

एवं POS Machine सेवा प्रदाता से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब समाधान करवाना सुनिश्चित करेंगें। जिसका विस्तृत दिनांक/समयबद्ध कार्यक्रम (परिशिष्ट– 1) संलग्न है।

6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से इस अभियान बाबत सभी NFSA परिवारो के पंजीकृत Mobile no. पर SMS/Voice मैसेज भिजवाना सुनिश्चित करेगें। मैसेज का प्रारुप परिशिष्ट –2 पर सलंग्न है।
7. खाद्य विभाग द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर/बैनर का प्रारुप उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसका जिला रसद कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत, उचित मूल्य दुकान एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करवायेंगे।
8. योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर जनसंपर्क अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला रसद अधिकारी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त क्रियाविधि तथा दैनिक प्रगति का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया/दैनिक समाचार पत्रों मे प्रेस नोट के माध्यम से प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेगे।
9. जिला रसद अधिकारी अपने पर्यवेक्षण मे उक्त शत प्रतिशत सीडिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तन स्टाफ व उचित मूल्य दुकानदारों को पीपीटी व विडियो शेयर करते हुए योजना के क्रियान्वयन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करवाते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उचित मूल्य दुकानदार सीडींग का कार्य करने मे पूर्ण रूप से सक्षम एवं प्रशिक्षित हो।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी समस्त प्रकार की सीडींग/मैपिंग के तहत शत–प्रतिशत परिशुद्धता (Accuracy) सुनिश्चित करेंगें। यदि इस संबंध मे कोई शिकायत या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
11. योजना के प्रभावी प्रर्यवेक्षण हेतु खाद्य विभाग मे पदस्थापित अधिकारियों को परिशिष्ट–3 के अनुसार जिले आवंटित किये जाते हैं। समस्त प्रभारी अधिकारीगण आवंटित जिलों में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उचित मूल्य दुकानो का सतत निरीक्षण करेंगे तथा अभियान के क्रियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर हैन्ड होल्डिंग करेंगे एवं आने वाली समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। उक्त निरीक्षण हेतु आवश्यकता होने पर राजकीय वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) सूचना, प्रोद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से प्रतिदिन सीडींग की प्रगति से श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय व अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदया को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जिलेवार प्रगति की रिपोर्ट जिला रसद अधिकारियो के व्हाट्स एप्प ग्रुप (DSO Rajasthan) मे प्रतिदिन पोस्ट करना सुनिश्चित करेंगे। योजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा की जायेगी।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.28 14:58:51 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य विभाग, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
8. निजी सचिव, जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. जनसम्पर्क सम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (डीओआईटी), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।को प्रेषित कर लेख है कि उक्त जारी दिशा–निर्देशों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
16. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।

<u>अतिरिक्त खाद्य आयुक्त</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.28 14:58:51 IST
Reason: Approved

Annexuer-1

Rasoi Gas Cylinder Subsidy Yojana V.C. Date and Time Schedule

S.No.	Division	District	Date ane Time
1	Ajmer	Ajmer	28-10-2024 03.00 PM
2		Beawar	
3		Kekri	
4		Tonk	
5		Nagaur	
6		Didwana - Kuchaman	
7		Shahpura	
8	Pali	Pali	
9		Jalore	
10		Sanchore	
11		Sirohi	
12	Banswara	Banswara	
13		Dungarpur	
14		Pratapgarh	
15	Jaipur	Jaipur I	
16		Jaipur II	
17		Dudu	
18		Kotputli-Behror	
19		Dausa	
20		Kherthal-Tijara	
21		Alwar	
22	Bikaner	Bikaner	29-10-2024 11.00 AM
23		Ganganagar	
24		Hanumangarh	
25		Anupgarh	
26	Bharatpur	Bharatpur I	
27		Dhaulpur	
28		Deeg	
29		Gangapur City	
30		Sawai Madhopur	
31		Karauli	
32	Kota	Kota	
33		Bundi	
34		Baran	
35		Jhalawar	
36	Jodhpur	Jodhpur (I)	
37		Jodhpur (II)	
38		Phalodi	
39		Jaisalmer	
40		Barmer	
41		Balotra	
42	Udaipur	Udaipur	
43		Chittaurgarh	
44		Bhilwara	
45		Rajsamand	
46		Salumbar	
47	Sikar	Sikar	
48		Jhunjhunun	
49		Neem Ka Thana	
50		Churu	

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.28 14:58:51 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट –2

मैसेज का प्रारूप

प्रिय उपभोक्ता,

"एनएफएसए लाभार्थी रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजनान्तर्गत रूपये 450 मे गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.11.2024 से 30.11.2024 तक नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई–केवाईसी, आधार सीडिंग एवं LPG ID की सीडिंग करवाना सुनिश्चित करावे।"

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.28 14:58:51 IST
Reason: Approved

<u>**परिशिष्ट –3**</u>

रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के जिलेवार प्रभारी अधिकारी की सूची

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	प्रभारी जिला
1.	श्रीमती पूनम प्रसाद सागर, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ
2.	श्री ब्रहमलाल जाट, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव	अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा
3.	श्री नानू राम सैनी, सहायक आयुक्त	बीकानेर, चूरू, नीम का थाना
4.	श्री रामचरण मीणा, उपायुक्त	अलवर, खैरथल–तिजारा, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली
5.	श्री महावीर प्रसाद व्यास, सहायक आयुक्त	जोधपुर, फलौदी, नागौर, डीडवाना – कुचामन
6.	श्री संजय झाला, उपनिदेशक उपभोक्ता मामले	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
7.	श्री चंदीराम जसवानी, उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान	पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही, राजसमंद
8.	श्रीमती बीजल सुराना, जिला रसद अधिकारी,	कोटा, बूंदी, बारां, झालवाड
9.	श्री संदीप माथुर, जिला रसद अधिकारी	जयपुर, कोटपूतली–बहरोड़, दूदू, टोंक
10.	श्री राकेश सोनी, प्रवर्तन अधिकारी	झुंझनु, सीकर
11.	श्री शशि शेखर शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी	जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा
12.	श्रीमती साक्षी कस्वाँ, प्रवर्तन निरीक्षक	भरतपुर, धौलपुर, डीग

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.10.28 14:58:51 IST
Reason: Approved